राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)

पीठासीन अधिकारी:– **धीरेन्द्र सिंह, आर.ए.एस**

प्रकरण संख्या 03/22 (विविध)

उनवान

धनश्याम पुत्र श्री धनसीराम जाति मीना निवासी हिंगोटा, तहसील मण्डावर जिला दौसा(राज.)

प्रार्थी/सायल

बनाम

राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार मंडावर हाल बैजूपाडा

अप्रार्थीगण/गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धरा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित 1. श्री खेमसिंह गुर्जर एडवोकेट– सायल

–:: निर्णय ::– दिनांक – 13.09.2022

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 1221 रकबा 2.33 हैक्टेयर, ख्सरा नंबर 1222 रकबा 0.06 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 2.39 हैक्टे स्थित ग्राम हिंगोटा, तहसील मण्डावर जिला दौसा में प्रार्थी का 1/9 हिस्सा खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें आने जाने हेतु खसरा नंबर 1181 रकबा 0.02 हैक्टेयर गै.मु रास्ता खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें होकर प्रार्थी पुराने समय से अपनी आराजी में आता जाता है तथा जमाबंदी संवत 2074–77 में खसरा संख्या 1182 रकबा 0.04 हैक्टे. गै.मु. चाह खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है।

जमाबंदी संवत 2074–77 में खसरा संख्या 1181 रकबा 0.02 है. गै. मु. रास्ता व 1182 रकबा 0.04 गै.मु. चाह जमाबंदी में सही दर्ज है जबकि नक्शा ट्रेश दिनांक 21.08.2021 के अनुसार नक्शा ट्रेस में रास्ते का खसरा नंबर 1182 तथा गै. मु. चाह का खसरा नंबर 1181 दर्ज हो गया है जो सहवन से दर्ज हो गया है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड के नक्शा ट्रेस में गलत अंकन होने से उसे दुरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रार्थी दिनांक 02.03.2022 को पटवारी के पास अपने रिकॉर्ड को देखने गया तब जाकर गतल इन्द्राज का पता चला तो प्रार्थी अप्रार्थी तहसीलदार के पास गया और गलत इन्द्राज को दुरस्त करने का निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी तहसीलदार ने उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करने से इंकार करदिया । लिहाजा प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करना लाजिम आया और प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड के नक्शा ट्रेस में हुई अशुद्धि खसरा नंबर 1182 गै.मु. रास्ते के स्थान पर खसरा 1181 गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 15.03.2022 दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार बैजूपाडा ने अपने कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2022/632 दिनांक 06.05.2022 द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुताबि तहसीलदार रिपोर्ट खसरा नं. 1221/2.33 व 1222/0.06 किता 2 रकबा 2.39 हैक्टे. ग्राम हिंगोटा में स्थित है जो धनश्याम पुत्र धनसीराम हिस्सा 1/9 छुटल्ला पत्नी स्व हीरालाल हि. 1/3 दिनेश पुत्र धनसीराम हिस्सा 1/9 भगवान सहाय पुत्र धनसीराम हि. 1/9 श्रीराम पुत्र भोज्या हि. 1/3 जाति मीना के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं राजस्व नक्शा शीट ग्राम हिंगोटा संवत 2045 में अंकित खसरा नम्बर 1181/0.02 की आकृति चाह जैसी व खसरा नम्बर 1182/0.04 की आकृति गै.मु. रास्ता जैसी खसरा नम्बर 1112 नम्बर तक स्पष्ट अंकित है जबकि जमाबंदी

में खसरा नम्बर 1181 रकबा 0.02 गै.मु.रास्ता व खसरा नम्बर 1182 रकबा 0.04 है गै. मु. चाह दर्ज रिकॉर्ड है।

वकील सायल की बहस सुनी गई। वकील गैर सायल द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड के नक्शा ट्रेस में हुई अशुद्धि खसरा नंबर 1182 गै.मु. रास्ते के स्थान पर खसरा 1181 गै.मु. रास्ता दर्ज करने हेतु निवेदन किया। वकील सायल की एकपक्षीय बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड तथा अन्य दस्तावेजात का भलीभांति अवलोकन किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार द्वारा अपने प्रस्तुत जबाब में प्रार्थी द्वारा वर्णित तथ्यों के ठीक विपरित आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की व नवीन नक्शा ट्रेस में अशुद्धि होना स्वीकार नही किया है।

उपरोक्त विवचन के आधार हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम गैरसायल के विरूद्ध स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम गैरसायल के विरूद्ध प्रमाणित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार, नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13 .09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) राज.

(धीरेन्द्र सिंह,RAS)
उपखण्ड अधिकारी मण्डावर(दौसा)
मण्डावर (दौसा)